

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया तहसील फुलियाकलां

: : मूल चाद मे अन्तिम डिक्री : :

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी - श्री राजकेश मीना  
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 211/2016

सनवान

- 1 बसीलाल पिता लालू रेगर तम-वगरक निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 2 प्रभुलाल पिता लालू रेगर तम-वगरक निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 3 सोहनलाल पिता हरदेव रेगर तम-वगरक निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 4 सुशीता पुत्री हरदेव रेगर तम-वगरक निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 5 सुसुन्दरी पुत्री हरदेव रेगर तम-वगरक निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 6 सुधीरा पुत्री हरदेव रेगर तम-वगरक निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 7 सुसीमा पुत्री हरदेव रेगर तम-वगरक निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 8 सुशोती पतिन हरदेव रेगर तम-वगरक निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

----- वादीगण

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिगे तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

----- प्रतिवादी


वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री सुनिल कुमार शर्मा-----वादीगण अधिवक्ता  
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

दिनांक- 26.10.2021

वाद-पत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि-वाके ग्राम सांगरिया प.ह.क्षे. सांगरिया तहसील फुलियाकलां स्थित बिलानाम आराजी संख्या 2136 रकबा 0.70 में से 1.62 हैक्ट., 2139 रकबा 0.50 हैक्ट., 2140 रकबा 0.25 हैक्ट., 2141 रकबा 0.10 हैक्ट., 2142 रकबा 0.40 में से 0.30 हैक्ट. कित्ता 05 रकबा 1.91 में से 1.77 हैक्टयर भूमि के राजस्व अभिलेखों में भूमिधारी राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां नाम विलोपित कर, के स्थान पर वादीगण का हक हिस्से अनुसार संयुक्त स्वामित्व धारित कर, सहखातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, राजस्व रेकार्ड में अंकन कर, दुरुस्तिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। तहसीलदार फुलियाकलां अनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

आज यह डिक्री दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर गम सांगरिया में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

  
(राजकेश मीना)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां  
उपखण्ड अधिकारी  
फुलियाकलां, भीलवाड़ा।